PWD
UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 1019/13सी0 दिनांक 7/07 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ।

विषयः- जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या –901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट–पय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से किमी0 16.40 तक चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0 नि0 वि0 को प्रर्त्यावतन किऐ जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/67274/2020)

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड देहरादून की फाइल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2022/एफ0सी0/1807 दिनांक 30/03/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क्र0 सं0	लगाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक रूप से नही प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार दोनों ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा इस कार्याल में प्रेषित करने का कष्ट करें।	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक कर दिया गया है , एवं दोनों ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा अंकित कर दिया गया ळें
2	आनलाईन पोर्टल के पैरा B2.4 component wise break up में प्रस्ताव में सम्मिलित bridge construction का जिक्र नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार पैरा B2.4 component wise break up में पुल निर्माण अंकित करने का कष्ट करें।	उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई कुल लम्बाई 16.400 है मार्ग के किमी0 7.00 में 30.00 मी0 स्पान का स्टील गर्डर सेतु निर्मित है परन्तु प्रस्तावित मार्ग 9.400 से 16.400 तक कुल 7.00 किमी0 लम्बाई में LVR से मोटर मार्ग में परिर्वतन प्रस्तावित है। मार्ग के इस प्रभाग में कोई भी पुल प्रस्तावित नही है। न ही इस प्रभाग में कोई सेतु पूर्व निर्मित है।
3	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित नही किया गया है केवल लाभान्वित गांवों को ही दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रत्यावर्तन मौजूदा मार्ग के widening से सम्बन्धित है किन्तु मार्ग निर्माण हेतु दिये गये औचित्य से यह स्पष्टं नही होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित प्रस्ताव हेतु ऑनलाइन पैरा D(i) पर सही औचित्य अपलोड करने का कष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव मौजूदा मार्ग के चौड़ीकरण से सम्बन्धित है। मार्ग निर्माण हेतु औचित्य में भी स्पष्ट कर दिया गया है व ऑनलाइन पैरा D(i) पर सही औचित्य अपलोड कर दिया गया है।
5	अमुख प्रस्ताव से यह स्पष्ट नही है कि पूर्व निर्मित मार्ग का निर्माण क्या 1980 से पूर्व किया गया था यदि हो तो राज्य सरकार इस संदर्भ में उपयुक्त प्रमाण पत्र जैसा कि गाइड लाइन पैरा 1.13 में वर्णित है। प्रेषित करेगी यदि मार्ग जो पूर्व निर्मित है कि लिए कोई एफ.सी.ए.	उक्त पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग का निर्माण वर्ष 1980 के पश्चात् वर्ष 1996 में हुआ है। इसलिए इस सन्दर्भ मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नही है। पूर्व में हल्का वाहन मार्ग निर्मित है जिसकी चौड़ाई 4.25 मी0

	1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदन ली गयी हो तो स्पष्ट कर इस कार्यालय में प्रेषित करनें का कष्ट करें।	हैं। उक्त मार्ग हेतु पूर्व में F.C.A. 1980 में स्वीकृति नही ली गयी है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की कुल चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी है। जिसके अन्तर्गत पूर्व में 4.25 मी0 की उपलब्ध चौड़ाई को भी सम्मिलित किया गया है।
6	प्रस्ताव में प्रस्तावित चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है किन्तु यह स्पष्ट नही है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अथवा चाही जा रही चौड़ाई पूर्व चौड़ाई के अतिरिक्त है। सम्पूर्ण जानकारी को चैनेज वाइज विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है जिसमें पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौड़ाई को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व निर्मित मार्ग को जोड़कर पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी0 (चैनेज 9.400 से 16.400) में प्रस्ताव तैयार किये गये है।
7	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भरा नही गया है। राज्य सरकार Employment Details को para E(iii) सही रूप से अंकित करने का कष्ट करें।	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भर कर अंकित कर दिया गया है।
8	राज्य सरकार एन.पी.वी. गणना संशोधित रेट पर दिनांक 06/01/2022 के अधार पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करनें का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निराकरण किया जाना है।
9	मलवा निस्तारण हेतु गैर वन भूमि का चयन नही किया गया है। साथ ही मलवा निस्तारण भूमि पर enumeration detail प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही मलवा निस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही नही की गयी हैं तथा कुल गणना में 11832 cum मलवा निस्तारण दर्शित नही है। आपसे अनुरोध है कि सही गणनित मलवा निस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें ।	मलुवा निस्तारण हेतु वन भूमि का चयन किया गया है, साथ ही मलवा निस्तारण भूमि पर enumeration detail प्रेषित कर दिया गया है तथा मलवा निस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही कर दिया गया है।
10	सी0ए0 क्षेत्र में के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच नही हो रहा है। अतः राज्य सरकार सी.ए. क्षेत्र मे के.एम. एल फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें साथ ही कुल भूमि में से 4.0 हे0 क्षेत्र MDF आ रहा है जिसका राज्य सरकार पुर्नवलोकन कर संशोधित करने का कष्ट करें।	सी0ए0 क्षेत्र का के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच कर दिया गया है। साथ ही कुल भूमि में से 4.0 हे0 क्षेत्र MDF आ रहा है जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 5 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

इं. वी. के. सिन्हा
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1079/13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृ0वृ0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता उपखण्ड लो0नि0वि0 धारचूला।
4. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो0निवि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)